अपील/ एलआर/3065 / 2005/ जिला भरतपुर
घूरया बनाम बृजमोहन व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19.08.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट । रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–76 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4–6–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2. अपील ज्ञापन के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उपखंड अधिकारी बैर के आदेश दिनांक 13–6–02 जिसके द्वारा विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट को किया गया, के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने निर्णय दिनांक 4–6–05 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता के नाम गैर मौरूसी दर्ज थी। एससी के व्यक्ति को ही एससी की आराजी आवंटित करने का कोई नियम नहीं है। विवादित आराजी के सम्बंध में उपखंड अधिकारी बैर के समक्ष आराजी गैर मौरूसी होने से वाद लम्बित है। आवंटन से पूर्व आवंटन की घोषणा 15 दिन पूर्व नहीं की गई। आवंटन किये जाने में आवंटन नियम 1970 के नियम 7, 8, 11 व 20 की पालना नहीं की गई। विवादित आराजी पर अपीलांट का लम्बे समय से कब्जा है इसलिए विवादित आराजी आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। अपीलार्थी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत विवादित आराजी को नियमित करवाने हेतु पात्र है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का दावा लम्बित है। आवंटन अपीलार्थी को सुने बिना किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय नियम विरूद्ध होने से खारिज किये जावे। 4. अभिभाषक अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने उपखंड अधिकारी बैर के आदेश दिनांक 13–6–02 जिसके द्वारा विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोडेंट को किया गया, के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर ने निर्णय दिनांक 4–6–05 द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2052 से 2055 जिसमें मु0 ग्यासिया बेवा मिरचुआ साकिन देह खातेदार खसरा नम्बर 631 रकबा 1 बीघा 16 बिसवा है तथा विशेष विवरण में इन्तकाल नम्बर 681 निर्णय दिनांक 13.11.1997 से मकबूजा सरकार दर्ज की गई। अपीलांट द्वारा जो रशीदें अपने पक्ष में पेश की है उनमें किसी में भी खसरा नम्बर दर्ज नहीं है। बल्कि वर्ष 1988, 89 96,97, की रशीद व लावारसी रिसीवरी में मिरचूआ दर्ज है जिससे इनके द्वारा वह भूमि रिसीवरी नीलामी में प्राप्त की गयी है। आबंटन आदेश दिनांक 13–6–2000 तथा खतौनी सम्बत 2056 से 2059, सम्वत 2055 से 2058 एवं गिरदावरी 7 से 9 के कॉलम नम्बर 8 में गैर मोरुसी का इन्द्राज है। आराजी के आवंटन प्रार्थना पत्र में पटवारी रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को भूमिहीन बताया है तथा आवंटन सलाहकार समिति ने ग्राम नहरपुर में पूरे कोरम के सदस्यों की उपस्थिति में विवादित आराजी का आवंटन रेस्पोडेन्ट व उसकी पत्नी शान्ती देवी पत्नी बृजमोहन को बाहिस्सा बराबर आवंटन किया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त आराजी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कर रखा है जिसमें कार्यवाही होना शेष है। अपीलांट ने इस आराजी से हितबद्ध होना एवं अतिक्रमी होने का तथा आवंटन के समय उसका प्रार्थना पत्र नियमन/आवंटन का लम्बित होने बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, जिससे उसे आवंटन नियम 20 का लाभ दिया जा सके। अपीलांट द्वारा आराजी के सम्बन्ध में अपील करने का लोकस स्टेन्ड्राई रिकार्ड से सिद्ध नहीं होने से अपीलीय न्यायालय ने अपील को पोषणीय नहीं माना तथा रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन विधिवत् मानते हुये अपील को खारिज किया है। यदि अपीलांट दावे के माध्यम से कोई अनुतोष चहाता है तो इस सम्बन्ध में उसका दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसका निस्तारण साक्ष्यों के बाद किया जाना है। इस द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये अपीलांट की अपील निरस्त कर उपखंड अधिकारी बैर के आवंटन आदेश को बहाल रखा है। हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा अपने अपील प्रार्थनापत्र में अथवा दौराने बहस ऐसा कोई बिन्दु नहीं उठाया है जिससे अपीलीय न्यायालय अथवा उपखंड अधिकारी बैर के आदेशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सके। 6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04–06–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर के आवंटन आदेश दिनांक 13–06–2002 में विधि अथवा तथ्य सम्बंध ऐसी कोई तात्विक त्रुटि जाहिर नहीं है जिसके आधार पर अपील के माध्यम से उक्त आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके। 7. परिणामतः हस्तगत अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	

अपील / एलआर / 3065 / 2005 / जिला भरतपुर
घूरया बनाम बृजमोहन व अन्य